राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 29/2025 अपील

लीला देवी पत्नी बालू रेबारी निवासी तिलोली तहसील आसींद जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसींद जिला भीलवाडा (राज०)
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध तहसीलदार आसींद निर्णय बअनवान सरकार बनाम लीला देवी निर्णय
दिनांक 19/12/2024

उपस्थित –

1. श्री सत्यनारायण सोमानी, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 24/03/2026

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अनुसार ग्राम तिलोली पटवार हल्का तिलोली की आ.न0 2705 पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए 50/– रूपए की पेनल्टी एवं आराजियात से बेदखली करने के आदेश विधि के विरूद्ध पारित किया है। अपीलार्थी का उक्त वर्णित आराजियात पर लगभग 50 साल से अधिक कब्जा चल रहा है। अपीलार्थी ने नियमन संबंधित दस्तावेज पत्रावली भी प्रस्तुत करना अवगत कराते हुए नियमन की पात्रता रखना बताया गया। अपीलार्थी के कब्जेशुदा भू–भाग पर रहने हेतु मकान का निर्माण कार्य भी कराया गया एवं विघुत कनेक्शन ले रखा है एवं निवासरत है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर एवं जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया। बेदखली का आदेश अपास्त योग्य है। उक्त प्रकरण की जानकारी अभी हाल ही में 27.02.2025 को हल्का पटवारी से निर्णय बहस की जानकारी हुई तत्काल ही 28.2.25 को नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है फिर भी मियाद का प्रा0पत्र देरी क्षमा हेतु अलग से प्रस्तुत है। निवेदन है कि प्रश्नगत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जाए तथा आराजी को अपीलार्थी को नियमन किए जाने संबंधित निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

24.3.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दौराने बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए अंततः अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। दौराने बहस प्रत्यर्थी–2 पक्ष की ओर से अवगत कराया कि प्रकरण में अपीलाण्ट ने राजकीय भूमि गैर मुमकीन मगरी पर टीनशेड व निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है जिस पर उसे नियमानुसार ही अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश मय पेनल्टी जमा कराने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसींद द्वारा पारित किया गया था।

बहस पर मनन व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि अपीलाण्ट ने गैर मुमकीन मगरी पर अतिक्रमण कर उक्त आराजी 2705 अवैध निर्माण कर रखा है। पूर्वजों के समय से कब्जा/निजी स्वामित्व के संबंध में अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए। अपीलाण्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आधारहीन व सारहीन ठहरती है, अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील आधारहीन व सारहीन है। वर्णित आराजी की प्रश्नगत भूखण्ड किस्म गै०मु० मगरी पर अपीलाण्ट ने अतिक्रमण कर रखा है। पूर्वजों के समय से कब्जा/निजी स्वामित्व के संबंध में अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए। इस कारण अपील **अस्वीकार** की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार आसींद को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.3.26
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)